न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 658 / 2024

अनवान : –

1. ओंकार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कमला पत्नी जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. बंशीलाल पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सन्दीप कुमार पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 16/8/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 15 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 94 / 96 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 3163 / 58190 हिस्सा भूमि वादी के तथा 3203 / 87285 हिस्सा प्रतिवादीया स0 1 के व 3203 / 87285 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के तथा 3203 / 87285 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 83 / 58 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि वादी के तथा 19 / 400 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के तथा 19 / 400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 एवं 19 / 400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है । वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा अपनी खातेदारी भूमि में ढाणी व रिहायश तथा काश्त के हिसाब से अलग अलग चक में काश्त करते चले आ रहे है। पारिवारिका बंटवारा के मुताबिक वादी को चक 7 जेएसएन में प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने अपना समस्त हक व हिस्सा का त्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। रोही मौजा 7 जेएसएन की वाद भूमि पर वादी काबिज है तथा रोही मौजा 15 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 94 में वादी का 3163 / 58190 हिस्सा भूमि मे वादी का नाम कलमजन कर प्रतिवादी स0 1 ता 3 के नाम बहिब दर्ज किया जावे। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई बार कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे जो प्रतिदिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:23:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक समझौता चक 7 जेएसएन की भूमि पर वादी काबिज है एवं चक 15 जेएसएन की वाद भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुकां है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 15 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 94/96 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 3163/58190 हिस्सा भूमि वादी के तथा 3203/87285 हिस्सा प्रतिवादीया स0 1 के व 3203/87285 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के तथा 3203/87285 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 83/58 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के तथा 19/400 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के तथा 19/400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 एवं 19/400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक समझौता चक 7 जेएसएन की भूमि पर वादी काबिज है एवं चक 15 जेएसएन की वाद भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बहिब काबिज है। वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:23:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता स0 83/58 में संयुक्त खाता में दर्ज प्रतिवादी स0 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 15 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 94/96 में संयुक्त खाता में दर्ज वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:23:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 658 / 2024

अनवान : –

1. ओंकार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कमला पत्नी जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. बंशीलाल पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सन्दीप कुमार पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 658 सन 2024 निर्णय दिनांक 16/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता स0 83 / 58 में संयुक्त खाता में दर्ज प्रतिवादी स0 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 15 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 94 / 96 में संयुक्त खाता में दर्ज वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:23:04 IST
Reason: SelfAttested